

मध्यप्रदेश शासन,  
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ-20-32/08/बी/ग्यारह

भोपाल, दिनांक 11/02/09

// अधिसूचना //

मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

1	मंत्री, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग	सदस्य
3	प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग	सदस्य
6	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
7	प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग	सदस्य
8	प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग	सदस्य
9	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	सदस्य
10	उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश	सदस्य
11	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेरिलिटेशन कॉर्पोरेशन	सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(एम.एस.सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ 20-32/08/बी/ग्यारह भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग को अधिसूचना क्रमांक एफ 20-32/08/बी/ग्यारह, दिनांक 11/02/09 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(एम.एस.सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मध्यप्रदेश शासन,  
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ-20-32/08/बी/ग्यारह

भोपाल, दिनांक 11/02/09

// अधिसूचना //

मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात :-

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| (1) मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन                                     | - | अध्यक्ष    |
| (2) मंत्री, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग                          | - | उपाध्यक्ष  |
| (3) मंत्री, वित्त विभाग  | - | सदस्य      |
| (4) मंत्री, वाणिज्यिक कर विभाग                                       | - | सदस्य      |
| (5) मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन                                      | - | सदस्य      |
| (6) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,<br>वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग | - | सदस्य सचिव |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(एम.एस.सोलंकी)  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,  
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ-20-32/08/बी/ग्यारह, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-32/08/बी/ग्यारह, दिनांक 11/2/09 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(एम.एस.सोलंकी)  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,  
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मध्यप्रदेश शासन,  
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ-20-32/08/बी/ग्यारह

भोपाल, दिनांक // /02/09

// अधिसूचना //

मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, जिला स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

- |    |  |            |
|----|--|------------|
| 1  | जिला कलेक्टर   | अध्यक्ष    |
| 2  | परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी  | उपाध्यक्ष  |
| 3  | प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, जिसकी अधिकारिता में जिला आता है, या उसका प्रतिनिधि जो उप संचालक की पद श्रेणी से नीचे का नहीं होगा | सदस्य      |
| 4  | अधीक्षण यंत्री, जे. एण्ड एम. या जिले की संबंधित विद्युत वितरण कंपनी का वरिष्ठतम अधिकारी जिसके अधीन वह जिला आता है  | सदस्य      |
| 5  | जिला अधिकारी, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग  | सदस्य      |
| 6  | जिला अधिकारी, श्रम विभाग   | सदस्य      |
| 7  | उपायुक्त/जिला वाणिज्यिक कर अधिकारी   | सदस्य      |
| 8  | क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल (बोर्ड)  | सदस्य      |
| 9  | अग्रणी बैंक के अधिकारी   | सदस्य      |
| 10 | महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र  | सदस्य सचिव |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(एम.एस.सोलंकी)  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,  
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ 20-32/08/बी/ग्यारह, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-32/08/बी/ग्यारह, दिनांक 11/2/09 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(एम.एस.सोलंकी)  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

अतिरिक्त (FA)

अतिरिक्त  
सचिव  
11/2/2009

